



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 285]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

मि० सं० 1-2/2016 (पी० एस०/संशोधन).— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अनुभाग 26 के उप-अनुभाग (1)की धारा (ई) एवं (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न संशोधित विनियम सृजित कर रहा है, नामतः

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ

1.1 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 कहलायेंगे।

1.2 ये ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं तथा साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

1.3 ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरन्त प्रभावी रूप से लागू होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय) विनियम 2010 के निम्नलिखित विनियम निम्नवत् पठनीय एवं संशोधित माने जाएँगे:—

विनियम	शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय विनियम 2010 के मौजूदा प्रावधान	शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय विनियम 2010 के संशोधित प्रावधान
3.4.1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पृथक् रूप से सक्षम (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से सक्षम)अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणियों)में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड के उद्देश्य से शैक्षिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5%तक की छूट प्रदान की जा सकती है। पात्रता संबंधी 55% अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक प्वाइंट स्केल में जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिए दी जाने वाली 5% की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित, अनुग्रहांक सम्मिलित किये बिना, होगी।
8.2.1 जोकि धारा 6.8.0 की अनुसूची का है	कुलपति के पदों पर रु075,000/-के नियत वेतन के साथ रु0 5,000/-प्रतिमाह का विशेष वेतन देय होगा। वेतन के अतिरिक्त कुलपति की अन्य समस्त पात्रता एवं सुविधाएं सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।	कुलपति के पदों पर रु075,000/-के नियत वेतन के साथ रु0 5,000/-प्रतिमाह का विशेष भत्ता देय होगा। वेतन के अतिरिक्त कुलपति की अन्य समस्त पात्रता एवं सुविधाएं सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।

5.1.6 (डी)	महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति अवधि पाँच वर्ष की होगी तथा समतुल्य चयन समिति की प्रक्रिया के पश्चात ही वे एक और सत्र के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।	महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति अवधि 5वर्ष की होगी तथा समतुल्य चयन समिति की प्रक्रिया के पश्चात ही वे एक और सत्र के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, जिस प्रक्रिया के अन्तर्गत वाह्य समकक्षों के पुनरीक्षण को तथा उसकी अनुशंसाओं एवं उसके परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा। वाह्य समकक्ष पुनरीक्षण के ढाँचे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
6.0.5(i)	विभिन्न विशिष्ट विषयों के डाटाबेस द्वारा प्रलेखीकृत सूचीबद्ध प्रकाशनों के अतिरिक्त, सम्बद्ध विश्वविद्यालय अपने विषय विशेषज्ञों एवं ISBN/ISSN विशेषज्ञों की सहायता से (a) सम्बद्ध विषयों में गुणवत्तायुक्त राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की पत्रिकाओं की सुविस्तृत सूची जारी करेगा एवं (b) विभिन्न भाषा निकायों की भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं जर्नल/पाक्षिक/सरकारी प्रकाशन के खण्डों को तैयार करेगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा तथा उन्हें आवधिक रूप से अद्यतन कराएगा।	विश्वविद्यालय विषय विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से पत्रिकाओं को विषयवार रूप से चिन्हित करेगा तथा अनुशंसायें यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में यूजीसी की स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगा। यूजीसी स्थायी समिति द्वारा जिन पत्रिकाओं को ऐसी सूची में से स्वीकृत किया जाए, उन्हें यूजीसी की अधिसूचित "पत्रिका सूची" में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से ऐसी सूची प्राप्त होने के 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी स्थायी समिति उसकी अनुशंसायें प्रस्तुत कर देगी। "पत्रिका सूची" में सम्मिलित किये जाने के लिए यूजीसी स्थायी समिति अपने आपसे भी पत्रिकाओं की अनुशंसा कर सकती है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय)(तृतीय संशोधन) विनियम 2016 के अन्तर्गत विनियम 3.3.1.4.4.1.4.4.2.4.2.2, 4.4.2.3, 4.5.3 एवं 4.6.3 में निर्धारित प्रावधान जो 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों में पंजीकृत अभ्यर्थियों को छूट दिये जाने के विषय में हैं, वे निम्नवत् संशोधित एवं पठनीय माने जाएँगे:—

बशर्ते, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम. फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच0डी0 डिग्रीधारक

अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular)पद्धति से पीएच0 डी0 डिग्री प्रदान की गई हो।

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

(ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियां सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दी हैं।

उपरोक्त (क) से लेकर (ङ) कुलपति/सम कुलपति/अध्यक्ष (अकादमिक मामले)/अध्यक्ष(विश्वविद्यालय अनुदेश) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपायों) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 के विनियम 6.0.1 का द्वितीय प्रावधान निम्न द्वारा प्रतिस्थापित होगा:-

“बशर्त श्रेणी III (शोध एवं अकादमिक योगदान) के अन्तर्गत इन उप-श्रेणियों में, लैक्चर्स/पेपर्स की उप श्रेणी के अलावा, प्रत्येक की एपीआई (API) प्राप्तांक की दावेदारी पर सीमा नहीं होगी।

परिणामतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपायों) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 के विनियम 6.0.1 की तालिका विलोपित मानी जायेगी।

5. गुणवत्ता पोषित करने के लिए, छात्र “फीडबैक”, उच्च शैक्षिक संस्थानों के अकादमिक विकास का एक अभिन्न अंग है। छात्र “फीडबैक” एवं शिक्षकों द्वारा दिया गया अनुत्तर, अध्यापन-शिक्षा प्राप्ति एवं संस्थागत विकास में सुधार के प्रति एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। संकल्पनाओं की स्पष्टता, विषयगत एवं अकादमिक विषयों में रुचि को विकास एवं गहन रूप से संवर्धित करने के लिए छात्र फीडबैक जो अध्यापन, संप्रेषण, प्रविधि एवं शिक्षा शास्त्र से संबद्ध है, वह प्रमुख है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अध्यापन- अधिगम पर रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराने में छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा संवर्धित हो सके तथा फीडबैक पर अनुक्रिया प्राप्त हो सके।

6. परिशिष्ट III की तालिका-I, II(A), II(B), III, IV, V(A), V(B), VI, VII, VIII(A), VIII(B) एवं IX जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण संबंधी अन्य उपाय) (तृतीय संशोधन) विनियम 2016 के विषय में है, वह परिशिष्ट-III: तालिका- I, II(A), II(B), III, IV, V(A), V(B), VI, VII, VIII(A), VIII(B) एवं IX जो कि इन चतुर्थ संशोधन विनियमों से संलग्न है, उनके द्वारा प्रतिस्थापित होगी।

प्रो. (डा.) जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./113(165)]

परिशिष्ट-III: तालिका-I

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह-आचार्य, और आचार्य के लिए करियर प्रगति योजना (सीएस) पदोन्नति हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई) तथा सह-आचार्य और आचार्य की सीधी भर्ती हेतु प्रास्तावित अंक शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यभार और अधिमान दिया जाए

प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष शिक्षण घंटे	
सहायक आचार्य	16
सह-आचार्य	14
आचार्य	14

शिक्षक के स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क)शिक्षण संबंधित क्रियाकलाप कार्यक्षेत्र की जानकारी (ख) परीक्षा और मूल्यांकन में भागीदारी और (ग) नवोन्मेषी शिक्षण, नये पाठ्यक्रमों के प्रति योगदान आदि। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग-अलग हैं। स्व-आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेख पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी I: शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

श्रेणी	क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक आचार्य		सह-आचार्य		आचार्य	
		अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
1.	क. प्रत्यक्ष शिक्षण	70	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.5	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.75	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.75
	ख. परीक्षा ड्यूटी (प्रश्न पत्र तैयार करना, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन) आबंटन अनुसार	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10
	ग. नवोन्मेषी शिक्षण-ज्ञानार्जन प्रणालियाँ, विषय वस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना, परामर्श इत्यादि	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

*नोट:

- प्रति सप्ताह 16/14/14 घंटे में व्याख्यान/अनुशिक्षण/प्रेक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय कार्य शामिल हैं।
- विश्वविद्यालय न्यूनतम 75% कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है, जिसके नीचे इन उप-श्रेणियों में कोई भी प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं।
- स्थापित अकादमिक एवं शिक्षण परम्पराओं के अनुरूप तथा छात्र केन्द्रित, देख-रेख को प्रतिपुष्ट करने के उद्देश्य से अध्यापकों को, कक्षागत अध्यापन की संरचना के अतिरिक्त, छात्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में छात्रों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श को सम्मिलित किया जा सकता है। पृथक रूप से अशक्त छात्रों की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं उनके अकादमिक निष्पादन के लिए अथवा उनकी असमर्थता दूर करने के लिए अध्यापकसर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऐसे प्रयासों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है और न ही उसे एपीआई प्राप्तांकों के परिप्रेक्ष्य में अथवा परिकलन में सप्ताहों अथवा महीनों के रूप में आंकलित किया जा सकता है। तथापि अध्यापकों द्वारा ऐसे कार्यों द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए।

श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह-पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व-आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह-पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई को तालिका II-ए में निर्धारित किया गया है। मर्दों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व-आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह-आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो तो इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

श्रेणी दो	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक	वास्तविक अंक
क	(i) छात्र संबंधी सह-पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप। विषय संबंधी सह-पाठ्येत्तर गतिविधियाँ (उदाहरणार्थ उपचारात्मक कक्षाएँ, करियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, आदि) (ii) अन्य सह-पाठ्येत्तर गतिविधियाँ (सांस्कृतिक, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. आदि) (iii) विस्तारण और प्रसारण क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियाँ आदि)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷ 10
	(i) कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें डीन/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारी	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे

ख.	(ii)	शिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है वे शामिल हैं) अध्ययन, बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी		÷ 10
ग.		व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्चा/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी-III: शोध और शैक्षिक योगदान

शिक्षक के स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग-अलग हैं। स्व-आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह-आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विज्ञान/इंजीनियरिंग/कृषि/चिकित्सा/पशु विज्ञान	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन के संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक*
III(क)	जिनमें शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं#	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं#	25 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं#	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं#	10 प्रति प्रकाशन
III(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गईआईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 30
		राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 20
		विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जोआईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित हैं।सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 15
		विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अपनी वेबसाइट पर दर्शायी गयी आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।	दर्शायी गयी आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।	अन्तर्राष्ट्रीय-प्रति अध्याय 10 राष्ट्रीय-प्रति अध्याय 5
III (ग)	शोध परियोजनाएं			
III(ग) (i)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) रुपए 30.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	रु 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) रुपए 5.0 लाख से रुपए 30.0 लाख	रु 3.0 लाख से रुपए 5.0 लाख	15 प्रति परियोजना

		तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	
		(ग) रूपए 1.0 लाख से रूपए 5.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	रु0 1.0 लाख रूपए से रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
III (ग) (ii)	परामर्शी परियोजनाएं	न्यूनतम रूपए 10.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया	न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया	प्रतिरु0 10.0 लाख और रु0 2.0 लाख हेतु क्रमशः 10
III (ग) (iii)	परियोजना निष्कर्ष / निर्गत	पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया	प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे डब्ल्यू एचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF) इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज	प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेंट के लिए 30 तथा राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेंट के लिए 20 प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज: अन्तर्राष्ट्रीय निकायों-30 केन्द्रीय सरकार- 20 राज्य सरकार- 10 स्थानीय निकाय-5
III (घ)	शोध मार्गदर्शन			
III (घ) (i)	एम. फिल	उपाधि प्रदान की गई	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
III (घ) (ii)	पीएच. डी.	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	15/10 प्रति उम्मीदवार
III (ङ)	अध्येतावृत्तियों, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान			
III (ङ) (i)	अध्येतावृत्तियों / पुरस्कार	अकादमिक निकायों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति
		अकादमिक निकायों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृत्ति
		अकादमिक निकायों से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार	5 प्रति पुरस्कार
III (ङ) (ii)	आमंत्रण व्याख्यान/पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तर	राज्य/विश्वविद्यालय स्तर	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
इस उप-श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित कर दिया जाएगा।				
III (च)	ई-लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास			10 प्रतिमापांक

* जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा: जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र- 5 अंकों द्वारा (दो) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र-10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र-15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र-20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र-25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरूप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% शेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

#विश्वविद्यालय पत्रिकाओं को विषयवार रूप से विशेषज्ञ समिति के द्वारा चिन्हित करायेगा, तथा अपनी अनुषंसायें यूजीसी स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयोग को अग्रसारित करेगा। इस सूची में से जो पत्रिकायें यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत की गयी हैं, उन्हें यूजीसी द्वारा अधिसूचित "पत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सूची प्राप्त होने के 60 कार्य दिवस के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुषंसायें प्रस्तुत करेगी। यूजीसी की स्थायी समिति स्वयंमेव, "पत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित करने के लिए पत्रिकाओं की अनुषंसा करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

परिशिष्ट-III तालिका-II(क)

परिशिष्ट-III तालिका-I में दर्शाए गए न्यूनतम एपीआई, जिन्हें विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालयों में करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत शिक्षकों की पदोन्नति एवं विशेषज्ञों के आकलन हेतु अधिमान के लिए लागू किया जाना है।

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग	सहायक आचार्य/समकक्ष	सहायक आचार्य (चरण 3) से	सह-आचार्य (चरण 4) से	आचार्य (चरण 5) से
--------	------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

		(चरण 1 से चरण 2) तक	संवर्ग (चरण 2 से चरण 3) तक	सह-आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4) तक	आचार्य/समकक्ष 1 संवर्ग (चरण 5) तक	आचार्य (चरण 6) तक
I	शिक्षण-ज्ञानार्जन, मूल्यांकन संबद्ध क्रियाकलाप	80/वर्ष	80/ वर्ष	75/ वर्ष	70/ वर्ष	70/ वर्ष
II	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप-न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि
III	शोध और शैक्षिक योगदान- न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि	400/आकलन अवधि
II+I	श्रेणी II और III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि	600/आकलन अवधि
IV	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन-सह-आकलन समिति	छानबीन-सह-आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति	विशेषज्ञ समिति
V	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान= 100. पदोन्नति हेतु न्यूनतम 50 की आवश्यकता है)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांक का सत्यापन करना है।	30% शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अभ्यास का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अभ्यास का आकलन 20% साक्षात्कार में प्रदर्शन	50% शोध योगदान 50% प्रदर्शन मूल्यांकन और संप्रेक्षण प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रत्यय पत्र

* शिक्षक श्रेणी II + III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों को प्राप्त करने के लिए श्रेणी II अथवा श्रेणी III में से किसी से भी अंकों का शेषप्राप्त कर सकते हैं।

परिशिष्ट-III तालिका-II (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता अर्हताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किये जाने हेतु

	सहायक आचार्य (चरण 1)	सह-आचार्य (चरण 4)	आचार्य (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक	इन विनियमों में यथावर्णित न्यूनतम अर्हताएँ	एपीआई की श्रेणी II और III से 300 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी II और III से 400 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समितिमानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान= 100)	(क) शैक्षिक रिकार्ड और शोध प्रदर्शन (50%) (ख) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

परिशिष्ट-III तालिका-III

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	सीएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और छानबीन/चयन मानदण्ड
1	सहायक	चरण 1 में सहायक आचार्य और	(i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का

	आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 1 से चरण 2 तक	पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने एम.फिल/एलएल.एम, एम.टेक, एम.वी.एससी., एम.डी. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी./एम. फिल./व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है (ii) 2/3 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 2 से चरण 3 तक	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है (ii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण-ज्ञानार्जन-मूल्यांकन तकनीकी पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास कार्यक्रमों और संकाय विकास कार्यक्रमों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि की एक पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह-सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक आचार्य(चरण 3) से सह-आचार्य (चरण 4) तक	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य	(i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है (ii) सहायक आचार्य के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन हों। तथापि, महाविद्यालय के शिक्षकों के मामले में एम.फिल. धारकों को एक प्रकाशन और पीएच.डी. धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (iii) प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण-ज्ञानार्जन-मूल्यांकन तकनीक पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास पाठ्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम की श्रेणियों में से कम से कम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या हो। (iv) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया
4	सह-आचार्य(चरण 4) से आचार्य (चरण 5) तक	चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सह-आचार्य	(i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है, यदि आवश्यक हो तो शिक्षक न्यूनतम प्राप्तांक उपलब्ध करने के लिए (चरण 2 और 3 के अन्तर्गत) दो आकलन अवधियों को संयोजित कर सकते हैं। (ii) शिक्षक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (iii) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया
5	आचार्य(चरण 5) से आचार्य (चरण 6) तक	दस वर्ष की पूरी सेवा वाले आचार्य (केवल विश्वविद्यालय)	(i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है (ii) अतिरिक्त प्रत्यायकों के साक्ष्य रूप में निम्न को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (क) उच्च स्तरीय पोस्टडॉक्टोरल शोध परिणाम (ख) पुरस्कार/सम्मान/प्रमाणन/उत्पादों पर पेटेंट और

			आईपीआर जो कि उन विकसित एवं उपलब्ध हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रक्रियाओं पर है एवं (ग) डी.एस.सी., डी.लिट., एल.एल.डी., आदि जैसी अतिरिक्त शोध उपाधियां। (iii) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया, यथा विनिर्दिष्ट एक चयन विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया।
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परिशिष्ट-III: तालिका IV

शारीरिक एवं खेलकूद शिक्षा में करियर उन्नति योजना (सीएएस) के लिए, सहायक निदेशक, महाविद्यालय निदेशक की पदोन्नति हेतु तथा विश्वविद्यालयों में उप निदेशक और निदेशक की सीधी भर्ती के लिए अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्यभार और दिया जाने वाला अधिमान

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	40	100
उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा	36+4*	90
निदेशक, शारीरिक शिक्षा	32+8*	80

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, अनुशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप (ख) खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप और (ग) खेल अवसंरचना और विस्तारण सेवाओं आदि का उन्नयन। इस श्रेणी के शारीरिक शिक्षा कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग-अलग हैं। स्व-आकलन अंक तटस्थ रूप से उद्देश्य परक सत्यापन योग्य अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

* प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेष, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे

श्रेणी I: शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन से जुड़े क्रियाकलाप

क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक निदेशक/महाविद्यालय निदेशक		उप निदेशक		निदेशक	
	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक
क. आर्वाटिट घंटों के अनुसार व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, संगोष्ठियां करना/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना/खिलाड़ी विकास/प्रशिक्षण वृत्ति (50 अंक) खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों के बीच खेल उत्कृष्टता का सर्वधन करना (20 अंक) खेल के मैदानों का विकास और रख-रखाव, अन्य खेल सुविधाओं की खरीद और रख-रखाव (10 अंक)	80	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷17.5	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷17.25	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷16.75
ख. खिलाड़ियों हेतु शारीरिक शिक्षा और खेल वृत्ति का प्रबंधन (आयोजनों, निष्पादन	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए

और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में नीतियों का मूल्यांकन) (10 अंक) अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य/ अंतर-विश्वविद्यालय/ अंतर जोन स्तरों पर खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (10 अंक)		वास्तविक घंटे ÷10		वास्तविक घंटे ÷10		वास्तविक घंटे ÷10
ग. शारीरिक शिक्षा और खेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उन्नयन (10 अंक) अवकाश के दिनों में संस्थाओं और संगठनों में सेवाएं, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण संबंधी सेवाओं का विस्तारण करना (10 अंक)	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह-पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शारीरिक शिक्षा संवर्ग के स्व-आकलन पर आधारित, श्रेणी II एपीआई प्राप्तांकों को सह-पाठ्यक्रम, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। मर्दों और प्राप्तांकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व-आकलन प्राप्तांक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा से निदेशक शारीरिक शिक्षा पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई प्राप्तांकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम प्राप्तांक	एपीआई	वास्तविक प्राप्तांक
(क) छात्र संबंधी सह-पाठ्येतर, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (i) विषय संबंधी पाठ्येतर क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि) (विभिन्न स्तर के भीतरी और बाहरी कार्यक्रम) (ii) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चाएं/संगोष्ठियां आदि)	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ख) कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और खेल और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से खेल इकाइयों और संस्था का प्रबंधन (जिसमें प्राचार्य/निदेशक/संयोजक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय घण्टों की आवश्यकता है, वे सब शामिल हैं)	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग) व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, शिविरों और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, पुनर्चर्चा/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी-III: शोध और अकादमिक योगदान

स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग हैं। स्व-आकलन प्राप्तांक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होंगे और इसे छानबीन सह-मूल्यांकन समिति द्वारा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक के पद से उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक के पद से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु, तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद और निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निदेशक, शारीरिक शिक्षा, हेतु अधिकतम प्राप्तांक*
III(क)	जिनमें शोध पत्रों का प्रकाशन	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित	25 प्रति प्रकाशन

	है:	(Refereed) पत्रिकाएँ#	
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ#	10 प्रति प्रकाशन
III(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें जिनमें आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है, वह दर्शाई गई है तथा उनकी वेबसाइट पर स्थापित की गई है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी।	प्रति पुस्तक 30, एकल लेखक हेतु
		राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयवार पुस्तकें जो आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं अथवा राज्य/केन्द्रीय सरकार प्रकाशन हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं और उनकी वेबसाइट पर स्थापित हैं। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी।	प्रति पुस्तक 20, एकल लेखक हेतु
		अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयवार पुस्तकें जो आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है और उनकी वेबसाइट पर स्थापित है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी।	प्रति पुस्तक 15, एकल लेखक हेतु
		राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्याय जिनमें आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है और उनकी वेबसाइट पर स्थापित है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी।	अंतर्राष्ट्रीय- 10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय-5 प्रति अध्याय
III (ग)	शोध परियोजनाएँ		
III(ग)(i)	प्रायोजित परियोजनाएँ	(क) रु0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएँ	20 प्रति परियोजना
		(ख) रु0 3.0 लाख से रु0 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएँ	15 प्रति परियोजना
		(ग) रु0 1.0 लाख से रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएँ	10 प्रति परियोजना
III(ग)(ii)	परामर्शकार्य परियोजनाएँ	न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि से संचालित करना	प्रति रु0 2.0 लाख की राशि पर 10
III (ग)(iii)	परियोजना के परिणाम/निष्कर्ष	प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, जैसे डब्ल्यूएचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF)इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज	अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नीति विषयक दस्तावेज -30 केन्द्रीय सरकार- 20 राज्य सरकार- 10 स्थानीय निकाय- 5
III(घ)	शोध मार्गदर्शन		
III (घ)(i)	एम.फिल.	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
III(घ)(ii)	पीएच.डी.	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	15/10 प्रति उम्मीदवार 10 प्रति उम्मीदवार
III (ङ)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रदान किये गये पुरस्कार/अध्येतावृत्तियों/आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र		
III (ङ)(i)	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	सरकारी/मान्य अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद निकायों/अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति

	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	सरकारी/मान्य राष्ट्रीय खेलकूद निकायों/राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृत्ति
	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	सरकारी/मान्य राज्य खेलकूद निकायों/राज्य सरकारी संगठनों से प्राप्त/राज्य/विश्वविद्यालय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	5 प्रति पुरस्कार
III (इ)(ii)	आमंत्रित व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप-श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी III के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित कर दिया जाएगा।		
III (इ)(iii)	ई-लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास		10 प्रति इकाई

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्रों हेतु एपीआई प्राप्तियों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा: (ii) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र— 5 अंकों द्वारा (ii) 1 और 2 के बीच प्रभावकारक (Impact) वाले पत्र— 10 अंकों द्वारा (iii) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र— 15 अंकों द्वारा (iv) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र— 20 अंकों द्वारा (v) 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र— 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों/पुस्तकों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल प्राप्तियों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरूप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्शक कुल प्राप्तियों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

#विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति हेतु विषय विशेषज्ञ समिति विश्वविद्यालय विषयवार पत्रिकाएँ चिन्हित करेगा तथा यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी अनुशंसाएँ प्रेषित करेगा। इस सूची के अन्तर्गत अनुमोदित पत्रिकाएँ जो कि यूजीसी स्थायी समिति ने स्वीकृत की हैं, वे "पत्रिका सूची" — जो यूजीसी द्वारा अधिसूचित है—उसमें सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से यह सूची प्राप्त होने से 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी स्थायी समिति अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर देगी। "पत्रिका सूची" में सम्मिलित करने के लिए यूजीसी स्थायी समिति स्वमेव ही पत्रिकाओं की अनुशंसा कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

परिशिष्ट—III तालिका—V (क)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक/महाविद्यालय निदेशक और उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा की करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु परिशिष्ट—तीन तालिका—I में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए, और चयन समितियों में विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमानता प्रोन्नत करने के लिए।

श्रेणी	क्रियाकलाप	शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 1 से चरण 2) तक	शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 2 से चरण 3) तक	शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 3) से उप/महाविद्यालय निदेशक (चरण 4) तक	शारीरिक शिक्षा में उप निदेशक (चरण 4) से निदेशक, शारीरिक शिक्षा (चरण 5) तक
I	शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों का विकास और खेल प्रबंधन क्रियाकलाप	80/वर्ष	80/वर्ष	75/वर्ष	70/वर्ष
II	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप—न्यूनतम प्राप्तियों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि
III	शोध और शैक्षिक योगदान— न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि

II + III	श्रेणी II और III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि
	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
V	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान = 100.न्यूनतम 50 आवश्यक)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है।	30%शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20%साक्षात्कार प्रदर्शन	50%शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन 20%साक्षात्कार प्रदर्शन

* श्रेणी II+III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए श्रेणी II अथवा श्रेणी III किसी से भी प्राप्तांकों के अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।

परिशिष्ट-III तालिका-V (ख)

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता अर्हताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना।

	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 1)	उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4)	निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक	इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	संघटित एपीआई की श्रेणी II और III से 300 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	संघटित एपीआई की श्रेणी II और III से 400 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान= 100)	(क) जीती गई प्रतियोगिता का रिकार्ड (30%) (ख) खेल और एथलीट कौशल (40%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (3) मूल्यांकन (40%) (ख) संगठनात्मक कौशल/खेलों की आयोजना (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) शोध पत्र (5) मूल्यांकन (50%) (ख) संगठनात्मक सतत् रूप से निरीक्षण की जाने वाली योजना(25%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%)

परिशिष्ट-III-तालिका-VI

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	सीएएस के माध्यम से शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित)	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड
1	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा से सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)(चरण 1 से चरण 2)	चरण 1 में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा /महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और पीएच.डी. के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी./एम.फिल. के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक (ii) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनर्चर्चा/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ)	चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ)	(i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएस

	वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा /सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)(चरण 2 से चरण 3)	वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक (ii) पुनर्चर्चा पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण-ज्ञानार्जन-मूल्यांकन तकनीकी पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास पाठ्यक्रमों और संकाय विकास पाठ्यक्रमों की श्रेणियों में से 3/4 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड) से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा सलेक्शन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)	(i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक (ii) सहायक/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के मामले में एम.फिल. धारकों को एक प्रकाशन और पीएच.डी. धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (iii) टीमों/एथिलीट्स को तैयार करने का प्रमाण। (iv) विनियम और तालिका V (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया।
4	विश्वविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप निदेशक शारीरिक शिक्षा	(ii) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक हासिल करने के लिए (चरण 2 और 3 में) शिक्षक दो आकलन अवधियां संयोजित कर सकते हैं। (ii) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (iii) टीमों/एथिलीट्स को तैयार करने का प्रमाण। (iv) विनियम और तालिका V (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया।

नोट: शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका II(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई प्राप्तांकों के अनुसार शारीरिक निदेशक संवर्गों पर भी लागू हैं।

परिशिष्ट-III: तालिका VII

विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/की करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत पदोन्नति एवं विश्वविद्यालयों में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

पुस्तकालयाध्यक्षों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्यभार और अधिमान दिया जाए

	प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे	अधिमान
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष	40	100
उप पुस्तकालयाध्यक्ष	36+4*	90
पुस्तकालयाध्यक्ष	32+8*	80

पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) पुस्तकालय संसाधनों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों, विकास, आयोजना और ई-संसाधनों का प्रबंधन उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देश; (ख) पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु आईसीटी और अन्य नई तकनीकों का उपयोग और (ग) अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख-रखाव, पुस्तकालय उपयोग

पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों को संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना। इस श्रेणी के पुस्तकालय कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग-अलग हैं। स्व-आकलन प्राप्तांक उद्देश्यपरक रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

* प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेष, सुविधाओं का उन्नयन, विस्तारित सेवाओं आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे

श्रेणी I: पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना की उपलब्धि, संयोजन एवं उसका समन्वय

क्रियाकलाप की प्रकृति	विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष		उप-पुस्तकालयाध्यक्ष		पुस्तकालयाध्यक्ष	
	अधिकतम प्राप्तांक	वास्तविक प्राप्तांक	अधिकतम प्राप्तांक	वास्तविक प्राप्तांक	अधिकतम प्राप्तांक	वास्तविक प्राप्तांक
क. पुस्तकालय संसाधनों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों का रख-रखाव, पुस्तकालय पाठक-सेवाओं का प्रावधान, शोधार्थियों के लिए उनके साहित्य संबंधी सेवाओं को पुनः उपलब्ध कराना और रिपोर्टों का विश्लेषण, रिपोर्टों, पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों के लिये सहायता का प्रावधान, क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के साथ संस्थानिक वेबसाइट को अद्यतन करने और संस्थानिक समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन करने हेतु सहायता (40 अंक)	70	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	60	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20	55	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20
ई-संसाधनों का विकास, व्यवस्था और प्रबंधन के साथ-साथ इंटरनेट पर उन तक पहुंच/इंटरनेट, पुस्तकालय संसाधनों का डिजिटलीकरण, सूचना का ई-परिदान आदि(15 अंक)						
उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देशन वृत्ति (प्रबोधन व्याख्यान, ओपेक, ज्ञान संसाधन, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करने जैसे उपयोगकर्ता प्रोत्साहन वृत्ति,अन्य नवीनतम पारस्परिक ज्ञानार्जन संसाधन आदि) (15अंक)						
ख. पुस्तकालय सेवाओं का उन्नयन करने के लिए आईसीटी और नई तकनीकों जैसे कैंटलॉग का ऑटोमेशन,	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

ज्ञानार्जन संसाधनों की खरीद प्रणाली, सदस्यता रिकॉर्ड सहित परिचालन कार्यवाही, कमवार अंशदान प्रणाली, संदर्भ और सूचना सेवाएं, पुस्तकालय सुरक्षा (तकनीक आधारित तरीके जैसे आरएफआईडी और सीसीटीवी), पुस्तकालय प्रबंधन साधनों का विकास (साफ्टवेयर), इन्ट्रानेट प्रबंधन				÷10		
ग. अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख-रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों को संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह-पाठ्यचर्या और विस्तारण क्रियाकलाप

पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के स्व-आकलन पर आधारित, श्रेणी II एपीआई प्राप्तांकों को सह-पाठ्यचर्या, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। मदों और प्राप्तांकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व-आकलन प्राप्तांक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा। नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई प्राप्तांकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम प्राप्तांक	एपीआई	वास्तविक प्राप्तांक
(क) छात्र संबंधी सह-पाठ्यचर्या, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पुस्तकालय सेवावृत्ति) (बाह्य और अंतःसंस्थानिकवृत्ति के विभिन्न स्तर), विस्तारण, विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पुस्तकालय-साहित्यिक कार्य	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ख) पुस्तकालय और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से पुस्तकालय इकाइयों और संस्था का प्रबंधन में कॉर्पोरेट जीवन के प्रति योगदान,	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10
(ग) व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के ई-पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, व्याख्यान, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख, जो नीचे श्रेणी II में शामिल नहीं हैं)	15		प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी-III: शोध और अकादमिक योगदान

स्व-आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग-अलग हैं। स्व-आकलन प्राप्तांक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होंगे और वे छानबीन सह-मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप

पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष	अधिकतम अंक*
III(क)	शोध पत्रों का प्रकाशन:	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं	25 प्रति प्रकाशन
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं	10 प्रति प्रकाशन
III(ख)	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य/संदर्भित पुस्तकें जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पुस्तकें एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित आईएसबीन/आईएसएसएन संख्या सहित है	30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित है, विषयगत पुस्तकें जो राष्ट्रीय स्तर पर आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या सहित है अथवा राज्य/केन्द्रीय सरकार प्रकाशन है। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी।	20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें जिन पर आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या सहित है। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी।	15 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु
		राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्याय जिनमें आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या सहित है और जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी।	अन्तर्राष्ट्रीय-10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय- 5 प्रति अध्याय
III (ग)	शोध परियोजनाएं		
III(ग) (i)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) रु0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
		(ख) रु0 3.0 लाख से अधिक रु0 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
		(ग) रु0 1.0 लाख से अधिक रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
III(ग) (ii)	परामर्श हेतु परियोजनाएं	न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि को संघटित करना	10 प्रत्येक रु0 2.0 लाख हेतु
III(ग) (iii)	परियोजना परिणाम/निष्कर्ष	अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे कि डब्ल्यू एच ओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ इत्यादि निकायों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए मुख्य नीति दस्तावेज	अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज-30 केन्द्रीय सरकार- 20 राज्य सरकार- 10 स्थानीय निकाय- 5
III(घ)	शोध मार्गदर्शन		
III(घ)(i)	एम.फिल.	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
III (घ) (ii)	पीएच.डी.	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	15 /10प्रति उम्मीदवार
III(ङ)	अवार्ड/फैलोशिप/प्रदान किये गये आमंत्रित व्याख्यान/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रस्तुत पत्र		
III(ङ) (i)	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति
	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृत्ति

	पुरस्कार/फैलोशिप	अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	5 प्रति पुरस्कार
III (ii)	आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राष्ट्रीय स्तरीय	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र
	इस उप-श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तांक को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी (III) के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित कर दिया जाएगा।		
III (iii)	ई-परिधान प्रक्रिया /सामग्री का विकास प्रविधि 10		प्रति

*जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई प्राप्तांकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा: (i) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र— 5 अंकों द्वारा (ii) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र— 10 अंकों द्वारा (iii) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र— 15 अंकों द्वारा (iv) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र— 20 अंकों द्वारा (v) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र— 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों/पुस्तकों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल प्राप्तांकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरूप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को बराबर रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा बराबर रूप से साझा किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय एक विषय विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विषयवार पत्रिकाओं को चिन्हित करेगा तथा अपनी अनुशंसायें यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में यूजीसी की स्थायी समिति की स्वीकृति के लिए आयोग को भेजेगा। इस सूची में से यूजीसी स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा अधिसूचित "पत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से इस सूची की प्राप्ति के 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करेगा। यूजीसी स्थायी समिति स्वयं अपने से ही "पत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित करने की अनुशंसा कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

परिशिष्ट-III तालिका-VIII(क)

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष की करियर उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु न्यूनतम एपीआई और चयन समितियों में विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान

श्रेणी	क्रियाकलाप	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 1 से चरण 2)	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 2 से चरण 3)	सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उप/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 3 से 4)	उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4 से 5)
I	पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना की उपलब्धि, संयोजन एवं सम्प्रेषण	80/वर्ष	80/वर्ष	75/वर्ष	70/वर्ष
II	व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप-न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि
III	शोध और शैक्षिक योगदान- न्यूनतम आवश्यक अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है	20/आकलन अवधि	50/आकलन अवधि	75/आकलन अवधि	100/आकलन अवधि
II+ III	श्रेणी II और III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांक*	90/आकलन अवधि	120/आकलन अवधि	150/आकलन अवधि	180/आकलन अवधि
IV	विशेषज्ञ आकलन प्रणाली	छानबीन सह आकलन समिति	छानबीन सह आकलन समिति	चयन समिति	चयन समिति
V	विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान= 100 न्यूनतम 50 अनिवार्य)	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांकका सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांक का सत्यापन करना है।	30%पुस्तकालय संबंधी शोध पत्रों का मूल्यांकन 50%पुस्तकालय स्वचालन संबंधी विषय क्षेत्र के ज्ञान और संगठनात्मक कौशल का आकलन 20%साक्षात्कार प्रदर्शन	50%पुस्तकालय प्रकाशन कार्य 30% नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवा और डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था का आकलन 20%साक्षात्कार प्रदर्शन

* श्रेणी II+ IIIके अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए श्रेणीII अथवा श्रेणी IIIकिसी से भी प्राप्तांकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।

परिशिष्ट- III तालिका-VIII (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एपीआई और अन्य मानक तथा विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना

न्यूनतम मानक / मानदण्ड	सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 1)	विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4)	पुस्तकालयाध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक (शोध और अकादमिक योगदान—श्रेणी III)	विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता	एपीआई की श्रेणी II और III से 300 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी II और III से 400 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति मानदण्ड / अधिमान (कुल अधिमान = 100)	(क) एक व्याख्यान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण / कंप्यूटर और संपर्क कौशल (50%) (ख) पुस्तकालय प्रबंधन कौशल (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय संबंधी शोध / विषय पत्र (सं० 3) मूल्यांकन (50%) (ख) पुस्तकालय ऑटोमेशन कौशल और संगठनात्मक योजनाएं (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%)	(क) पुस्तकालय शोध पत्र (5) मूल्यांकन (60%) (ख) नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवाओं का संगठनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड और विजन योजना (20%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

परिशिष्ट—III तालिका—IX

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं

क्रम संख्या	सीएस के माध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति	सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित)	न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन / चयन मानदण्ड
1	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (चरण 1 से चरण 2) तक	चरण 1 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और पीएच.डी. के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने एम.फिल. के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी./एम.फिल. के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(i) परिशिष्ट III की तालिका VIII(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्रारूप जो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। (ii) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
2	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3) तक	चरण 2 में 5 वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	(i) परिशिष्ट III की तालिका VIII (क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्रारूप जो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। (ii) साथ ही, आकलन अवधि के दौरान न्यूनतम 3 से 4 सप्ताह अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो। (iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया
3	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयाध्यक्ष /	चरण 3 में 3 वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)	(i) परिशिष्ट III की तालिका VIII (क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार

	महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4) तक		विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप। 12 वर्षों की अवधि में 3 प्रकाशन होने चाहिए, और महाविद्यालयों में 1 प्रकाशन की छूट एम.फिल. धारकों को दी जाएगी तथा 2 प्रकाशनों की छूट पीएच.डी. धारकों को दी जाएगी। (ii) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन/अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण (iii) विनियम और तालिका VIII(क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में 3 वर्ष की पूरी सेवा वाले उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) तालिका VIII(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्त। न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (ii) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम 5 प्रकाशन। (iii) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण। (iv) विनियम और तालिका VIII (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोट: शिक्षकों हेतु सीएस के लिए तालिका II (क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई प्राप्तांकों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग पर भी लागू है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

No.F.1-2/2016(PS/Amendment) -In exercise of the powers conferred under clauses (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following amendment Regulations, namely :-

1. Short title, application and commencement:

- 1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4th Amendment), Regulations, 2016.
- 1.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of the said Act.
- 1.3 They shall come into force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. The following regulations in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) Regulations, 2010 shall stand amended and be read as under:-

Regulation	Existing provisions in Principal Regulations on Minimum Qualifications for	Amended provisions in principal Regulations on Minimum Qualifications for
------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

	Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010	Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010
3.4.1	A relaxation of 5% may be provided at the graduate and Master's level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled (physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.	A relaxation of 5% may be provided at the graduate and Masters level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled (physically and visually differently-abled) /Other Backward Classes (OBC) (Non-creamy layer) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
8.2.1 of Schedule for clause 6.8.0	The posts of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs.75,000/- alongwith a special pay of Rs.5,000/- per month. All other eligibility and facilities for the Vice-Chancellor as provided in the Act/Statutes of the University concerned shall be applicable besides the pay.	The post of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs.75,000/- alongwith a special allowance of Rs.5,000/- per month. All other eligibility and facilities for the Vice-Chancellor as provided in the Act/Statutes of the University concerned shall be applicable besides the pay.
5.1.6 (d)	The term of appointment of the College Principal shall be FIVE years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection Committee process.	The term of appointment of the College Principal shall be five years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection Committee process which shall take into account an external peer review, its recommendations and its outcomes. The framework of the external peer review shall be specified by the UGC.
6.0.5(i)	Besides the indexed publications documented by various discipline-specific databases, the University concerned shall draw through committee(s) of subject experts and ISBN/ISSN experts : (a) a comprehensive list of National/Regional level journals of quality in the concerned subject(s); and (b) a comprehensive list of Indian language journals/periodicals/official publication volumes of language bodies and upload them on the University website which are to be updated periodically.	The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suomotu, recommend journals for inclusion in the "List of Journals".

3. The proviso prescribed under Regulation 3.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.5.3 and 4.6.3 in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) (**3th Amendment**) Regulations, 2016 regarding exemption to the candidates registered for Ph.D. programme prior to July 11, 2009 shall stand amended and be read as under:-

"Provided further, the award of degree to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bylaws/Regulations of the Institutions awarding the degree and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-

- a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;

- b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;
- c) Open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;
- d) Candidate **has** published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal;
- e) Candidate **has** made at least two presentations in conferences/seminars, based on his/her Ph.D work.

(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Dean(Academic Affairs)/Dean(University instructions).”

4. The second proviso prescribed under Regulation 6.0.1 in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of the standards in higher education) (2nd Amendment) Regulations, 2013 shall be substituted with the following: -

“Provided also that the API score claim of each of the sub-categories in the Category III (Research and Academic Contributions) shall not have a cap except for the sub-category of invited lectures/papers.”

As a consequence, the table at Regulation 6.0.1 of the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of the standards in higher education) (2nd Amendment) Regulations, 2013 stands deleted.

5. Student Feedback is an integral part of the institutional and academic development of higher educational institutions and in fostering quality. Student feedback and teacher response plays a catalytic role towards improvement in teaching-learning and institutional development. Feedback from students on teaching, delivery, methodology and pedagogy is pivotal with a view to enhancing clarity of concepts, subject understanding and developing and deepening an interest in the academic discipline. Universities and Colleges should encourage teachers to assist students in providing constructive feedback on teaching-learning in order to enhance quality education and in responding to the feedback.

6. Tables-I,II(A),II(B),III,IV,V(A),V(B),VI,VII,VIII(A), VIII(B) and IX of Appendix-III of the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) (3th Amendment) Regulations, 2016 shall be substituted with Appendix-III : Tables-I,II(A),II(B),III,IV,V(A),V(B),VI,VII,VIII(A), VIII(B) and IX appended to these 4th Amendment Regulations.

Prof. (Dr.) JASPAL SINGH SANDHU, Secy.
[ADVT III/4/Exty./113(165)]

APPENDIX – III: TABLE I

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR IN UNIVERSITIES AND COLLEGES.

	Direct Teaching Hours per week
Assistant Professor	16
Associate Professor	14
Professor	14

Based on the teacher’s self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; domain knowledge; (b) participation in examination and evaluation; and (c) contribution to innovative teaching, new courses etc. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion. The self- assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

CATEGORY I: TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES

Category	Nature of Activity	Assistant Professor		Associate Professor		Professor	
		Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score
I	a. Direct Teaching	70	Actual hours spent per	60	Actual hours spent per	60	Actual hours spent per

			academic year ÷7.5		academic year ÷7.75		academic year ÷7.75
	b. Examination duties (question paper setting, Invigilation, evaluation of answer scripts) as per allotment	20	Actual hours spent per academic year ÷10	20	Actual hours spent per academic year ÷10	10	Actual hours spent per academic year ÷10
	c. Innovative Teaching - learning methodologies, updating of subject contents/courses, mentoring etc.	10	Actual hours spent per academic year ÷10	15	Actual hours spent per academic year ÷10	20	Actual hours spent per academic year ÷10

Note:

1. Direct Teaching 16/14/14 hours per week include the Lectures/Tutorials/Practicals /Project Supervision/Field Work. .
2. University may prescribe minimum cut-off, say 75%, below which no scores may be assigned in these sub-categories.
3. In consonance with established academic and teaching traditions, and with a view to reinforcing a student-centric and caring approach the teachers are encouraged to work with students, beyond the structure of classroom teaching. Indicatively, this could entail mentoring, guiding and counseling students. In particular teachers would be the best placed to identify and address the needs of students who may be differently abled, or require assistance to improve their academic performance, or to overcome a disadvantage. There are no prescribed hours for such efforts, measured either in weeks or months, or in the context and calculation of the API scores, these are nevertheless important and significant activities that could be carried out by teachers.

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the teacher's self-assessment, Category II API scores are proposed for Professional development, co-curricular and extension activities; and related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is fixed in Table II (A). A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Category II	Nature of Activity	Maximum API Score	Actual score
a.	Student related co-curricular, extension and field based activities. (i) Discipline related co-curricular activities (e.g. remedial classes, career counselling, study visit, student seminar and other events.) (ii) Other co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.) (iii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
b.	Contribution to corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities. i). Administrative responsibility (including as Dean / Principal / Chairperson / Convener / Teacher-in-charge/similar other duties that require regular office hrs for its discharge) (ii). Participation in Board of Studies, Academic and Administrative Committees	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c.	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, industrial experience, talks, lectures	15	Actual hours spent per

	in refresher / faculty development courses, dissemination and general articles and any other contribution)		academic year ÷ 10
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API scores required for teachers from this category are different for different levels of promotion in universities and colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

Category	Activity	Faculty of Sciences / Engineering / Agriculture / Medical / Veterinary Sciences	Faculties of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library / Physical education / Management	Maximum score for University / College teacher*
III (A)	Research Papers published in:	Refereed Journals as notified by the UGC#	Refereed Journals as notified by the UGC#	25 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC#	Other Reputed Journals as notified by the UGC #	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference, Books published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	30 per Book for Single Author
		Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	20 per Book for Single Author
		Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	International –10 per Chapter National – 5 per Chapter
III (C)	RESEARCH PROJECTS			
III (C) (i)	Sponsored Projects	(a) Major Projects with grants above Rs. 30 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs	20 per Project
		(b) Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs up to Rs. 30 lakhs	Major Projects with grants above Rs. 3 lakhs up to Rs. 5 lakhs	15 per Project
		(c) Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs. 5 lakhs	Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs. 3 lakhs	10 per Project
III (C) (ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs.10 lakhs	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs	10 for every Rs.10 lakhs and Rs.2 lakhs,

				respectively
III (C) (iii)	Projects Outcome / Outputs	Patent / Technology transfer / Product / Process	Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies	30 for each International / 20 for each national level output or patent. Major policy document of International bodies - 30 Central Government – 20, State Govt.-10 Local bodies – 5
III (D)	RESEARCH GUIDANCE			
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	Degree awarded	5 per candidate
III(D) (ii)	Ph.D.	Degree awarded / Thesis submitted	Degree awarded / Thesis submitted	15/10 per candidate
III E	Fellowships, Awards and Invited lectures delivered in conferences / seminars			
III(E) (i)	Fellowships/ Awards	International Award/Fellowship from academic bodies	International Award / Fellowship from academic bodies/associations	15 per Award / 15 per Fellowship
		National Award/Fellowship from academic bodies	National Award/Fellowship from academic bodies/associations	10 per Award / 10 per Fellowship
		State/University level Award from academic bodies	State/University level Award from academic bodies/associations	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers	International	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period			
III(F)	Development of e-learning delivery process/material			10 per module

* Wherever relevant to any specific discipline, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points; (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo-moto, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

APPENDIX - III TABLE - II (A)

MINIMUM APIS AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN UNIVERSITY DEPARTMENTS AND COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT

Category	Activity	Assistant Professor / equivalent	Assistant Professor / equivalent	Assistant Professor (Stage 3) to Assoc. Professor/equivalent	Associate Professor (Stage 4) to	Professor (Stage 5) to
----------	----------	----------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------

		cadres: (Stage 1 to Stage 2)	cadres: (Stage 2 to Stage 3)	cadres (Stage 4)	Professor /equivalent cadres (Stage 5)	Professor (Stage 6)
I	Teaching-learning, Evaluation Related Activities	80/Year	80/year	75/year	70/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	100 / Assessment period
III	Research and Academic Contributions- Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period	75 / Assessment period	100 / Assessment period	400 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period	150 / Assessment period	180 / Assessment period	600 / Assessment period
IV	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee	Expert Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required for promotion is 50)	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening Committee to verify API scores	30% - Research Contribution 50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20% - Interview performance	50% - Research Contribution. 30% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20% - Interview performance	50% - Research Contribution. 50%- Performance evaluation and other credential by referral procedure

* Teachers may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.

APPENDIX - III TABLE - II(B)

Minimum Scores for APIs for direct recruitment of teachers in university departments / Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

	Assistant Professor (Stage 1)	Associate Professor (Stage 4)	Professor (Stage 5)
Minimum API	Minimum	Consolidated API score requirement	Consolidated API score

Scores	Qualification as stipulated in these regulations	of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100)	a) Academic Record and Research Performance (50%) b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills (30%) c) Interview performance (20%)	a) Academic Background (20%) b) Research performance based on API score and quality of publications (40%) c) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%) d) Interview performance: (20%)	a) Academic Background (20%) b) Research performance based on API score and quality of publications (40%). c) Assessment of Domain knowledge and Teaching Skills (20%). d) Interview performance:(20%)

APPENDIX-III - TABLE: III

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

S.No.	Promotion of Teachers through CAS	Service requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2	Assistant Professor in Stage 1 and completed four years of service with Ph.D. or five years of service who are with M.Phil / PG Degree in Professional Courses such as LLM, M.Tech, M.V.Sc., M.D., or six years of service who are without Ph.D/ M.Phil / PG Degree in Professional courses	(i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 2/3 weeks duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 2 to Stage 3	Assistant Professor with completed service of five years in Stage 2.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II(A) (ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Professor (Stage 3) to Associate Professor (Stage 4)	Assistant Professors with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A). (ii) At least three publications in the entire period as Assistant Professor (twelve years). However, in the case of College teachers, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders. (iii) One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning - Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II(A).
4.	Associate Professor (Stage	Associate Professor with three years of completed	(i)Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided

	4) to Professor (Stage 5)	service in Stage 4.	in Table II (A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3. (iii) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II (A).
5.	Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6).	Professor with ten years of completed service (universities only)	(i) Minimum cumulative API scores for the assessment period as per the norms provided in Table II (A). (ii) Additional credentials are to be evidenced by: (a) post-doctoral research outputs of high standard; (b) awards / honours / recognitions / patents and IPR on products and processes developed / technology transfer achieved; and (c) Additional research degrees like D.Sc., D.Litt., LL.D., etc., (iii) A review process by an Expert Committee as stipulated in this regulation and in Tables II (A)..

APPENDIX – III: TABLE IV

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS AND FOR COLLEGE DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY DIRECTOR AND DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS IN UNIVERSITIES.

Direct Workload and weightage to be given to different levels of Physical Education Personnel

	Direct working hours per week	Weightage
Assistant Director of Physical Education	40	100
Deputy Director of Physical Education	36+4*	90
Director of Physical Education	32+8*	80

Based on the Physical Education Personnel's self-assessment, API scores are proposed for (a) Lecture cum practice based athlete / sports classes coaching and training related activities; (b) Organizing and conducting sports and games competitions and management related activities; and (c) upgradation of sports infrastructure and extension services etc. The minimum API score required by Physical Education Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

***Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

CATEGORY I: TEACHING, TRAINING, COACHING, SPORTS PERSON DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT ACTIVITIES

Nature of Activity	Assistant Director / College Director		Deputy Director		Director	
	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score
a) Lecture cum practice based athlete / sports classes, seminars undertaken as per allotted hours /organizing and conducting coaching camps / sports person development / training programmes (50 Points) Identifying sports talents and Mentoring sports excellence among students (20 Points) Development and maintenance of play fields, purchase and maintenance of other sports facilities (10 Points)	80	Actual hours spent per academic year ÷ 17.5	70	Actual hours spent per academic year ÷ 17.25	60	Actual hours spent per academic year ÷ 16.75

b) Management of Physical Education & Sports Program for students (planning, executing and evaluating the policies in physical education & Sports) (10 Points) Organizing and conducting sports and games competitions at the International / National / State / Inter University/Inter Zonal Levels (10 Points)	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c) Upgradation of scientific and technological knowledge in Physical Education and Sports (10 Points) Extending services, sports facilities and training on holidays to the institutions and organizations (10 Points)	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the Physical Education Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education & Sports to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant DPE&S to Deputy DPE&S and for direct recruitment of Deputy DPE&S and DPE&S.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Nature of Activity	Maximum API Score	Actual score
a) Student related co-curricular, extension and field based activities (i) Discipline related co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.) (various levels of intramural and extramural programmes) (ii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
b) Contribution to Corporate life and management of the sports units and institution through participation in sports and administrative committees and responsibilities(including as Principal / Director / Convener / similar other duties that require regular office hrs for its discharge)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, camps & events, talks, lectures in refresher / faculty development courses, membership of associations, dissemination and general articles and any other contribution)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and sports contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education & Sports to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education & Sports to Deputy Director of Physical Education & Sports and for direct recruitment of Deputy Director of Physical Education & Sports and Director of Physical Education & Sports.

Category	Activity	Faculties of Physical Education & Sports	Max.score for University/College DPE*
----------	----------	------------------------------------------	---------------------------------------

III (A)	Research Publications in	Refereed Journals as notified by the UGC#	25 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC#	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	30 per Book for Single Author
		Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	20 per Book for Single Author
		Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	International –10 per Chapter National – 5 per Chapter
III (C)	RESEARCH PROJECTS		
III (C) (i)	Sponsored Projects	Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs	20 per Project
		Major Projects with grants above Rs.3 lakhs up to Rs.5 lakhs	15 per Project
		Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs.3 lakhs	10 per Project
III (C)(ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs	10 for every Rs.2 lakhs
III (C)(iii)	Projects Outcome / Outputs	Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies	Major policy document of International bodies - 30 Central Government – 20, State Govt.-10 Local bodies – 5
III (D)	RESEARCH GUIDANCE		
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	5 per candidate
III(D)(ii)	Ph.D.	Degree awarded / Thesis submitted	15 / 10 per candidate 10 per candidate
III E	Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars		
III(E) (i)	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from Govt./recognized International Sports Bodies/International Sports Organizations	15 per Award / 15 per Fellowship
	Award / Fellowship	National Award/Fellowship from Govt./recognized National Sports Bodies/National Sports Organizations	10 per Award / 10 per Fellowship
	Award /Fellowship	State / University Award/Fellowship from Govt./recognized State Sports Bodies/State Sports Organizations	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers presented	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
	The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period		
III(E)	Development of e-learning delivery process/material		10 per module

(iii)		
-------	--	--

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points; (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo-moto, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

APPENDIX - III TABLE - V (A)

MINIMUM APIs AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE DIRECTOR AND DEPUTY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Category	Activity	Assistant / College Director of Physical Education (Stage 1 to Stage 2)	Assistant / College Director of Physical Education (Stage 2 to Stage 3)	Assistant/College Director of Physical Education(Stage 3) to Deputy/College Director of Physical Education (Stage 4)	Deputy Director of Physical Education (Stage 4) to Director of Physical Education (Stage 5)
I	Teaching, training, coaching, sports person development and sports management activities	80/Year	80/year	75/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively	50/ Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period
III	Research and Academic Contributions - Minimum score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period)	75 / Assessment period	100 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period)	150 / Assessment period	180 / Assessment period
	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee
V	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required 50)	No separate points. Screening Committee to verify API scores	No separate points. Screening Committee to verify API scores	30%- Research contribution 50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices. 20%- Interview performance	50%- Research contribution. 30%- Assessment of domain knowledge and teaching practices. 20 %- Interview

					performance
--	--	--	--	--	-------------

*** One may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.**

APPENDIX - III TABLE - V(B)

Minimum Scores for APIs for direct recruitment of Physical Education Cadres in Universities / Colleges, and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

	Assistant DPE (Stage 1)	Deputy DPE (Stage 4)	DPE (Stage 5)
Minimum API Scores	Minimum Qualification as stipulated in the regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100)	a) Track Record of championship won (30%) b) Sports and athletic skills (40%) c) Interview performance (30%)	a) Research papers (3 nos) evaluation:(40%) b) Organisational skills / Plans of sports (30%) c) Interview performance (30%)	a) Research papers (5 nos) evaluation (50%) b) Organisational track vision plan: (25%) c) Interview performance (25%)

APPENDIX-III - TABLE VI

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF PHYSICAL EDUCATION CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Sl.No.	Promotion of Physical Education Cadres through CAS	Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant DPE/ College DPE to Assistant DPE (Senior Scale) / College DPE (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2)	Assistant DPE / College DPE completed four years of service in Stage 1 with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil	(i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V (A). (ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 3/4 weeks duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant DPE (senior scale) / College DPE (senior scale) to Deputy DPE / Assistant DPE (selection grade) / College DPE (selection grade) (Stage 2 to Stage 3)	Assistant DPE (senior scale) College DPE (senior scale) with completed service of five years in Stage 2	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A) (ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 3/4 week duration. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant DPE (Selection Grade) / College DPE (Selection Grade) to Deputy DPE / College DPE (Selection Grade) (Stage 3 to Stage 4).	Assistant DPE (Selection Grade) / College DPE (Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A). (ii) At least three publications in the entire period as Assistant/College DPE (twelve years). However, in the case of College DPE, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders. (iii) Evidence of having produced teams / athletes

			(iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables V(A).
4.	University DPE (Stage 5) (For universities only)	Deputy DPE in universities with three years of completed service in Stage 4.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period the personnel is placed in stage 3 (iii) Evidence of having produced. teams / athletes (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables V(A).

Note: The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Physical Director cadres as per the API score specified for this cadre.

APPENDIX- III TABLE VII

ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR PROMOTIONS OF ASSISTANT LIBRARIAN IN UNIVERSITIES / FOR COLLEGE LIBRARIAN UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY LIBRARIAN AND LIBRARIAN IN UNIVERSITIES.

Direct Work load and weightage to be given to different levels of Librarians

	Direct working hours per week	Weightage
Assistant Librarian/College Librarian	40	100
Deputy Librarian	36+4*	90
Librarian	32+8*	80

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, API scores are proposed for (a) Library resources organization and maintenance of books, journals, reports, Development, organization and management of e-resources; User awareness and instruction programmes, (b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services and (c) Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms. The minimum API score required by Library Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

***Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

CATEGORY I: Procurement, organization, and delivery of knowledge and information through Library services

Nature of Activity	Univ.Assistant Librarian/College Librarian		Deputy Librarian		Librarian	
	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score	Max. Score	Actual Score
a) Library resources organization and maintenance of books, journals, reports; Provision of library reader- services, literature retrieval services to researchers and analysis of reports; Provision of assistance to the departments of University/College with the required inputs for preparing reports, manuals and related documents; Assistance towards updating institutional website with activity related information and for bringing out institutional Newsletters, etc. (40 Points) Development, organization and management of e-resources including their accessibility over Intranet / Internet, digitization of library	70	Actual hours spent per academic year ÷ 20	60	Actual hours spent per academic year ÷ 20	55	Actual hours spent per academic year ÷ 20

resources, e-delivery of information, etc (15 Points) User awareness and instruction programmes (Orientation lectures, users' training in the use of library services as e-resources, OPAC; knowledge resources user promotion programmes like organizing book exhibitions, other interactive latest learning resources, etc. (15 Points)						
b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services such as automation of catalogue, learning resources procurement functions, circulation operations including membership records, serial subscription system, reference and information services, library security (technology based methods such as RFID, CCTV), development of library management tools (software), Intranet management	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c).Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10	10	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

Nature of Activity	Maximum API Score	Actual score
a) Student related co-curricular, extension and field based activities (such Cultural exchange and Library service Programmes (various level of extramural and intramural programmes); extension, library-literary work through different channels.	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
b) Contribution to Corporate life and management of the library units and institution through participation in library and administrative committees and responsibilities.	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10
c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term, e- library training courses, workshops and events, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below)	15	Actual hours spent per academic year ÷ 10

CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and library contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the

promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

Category	Activity	University/College Librarians	Max.score *
III (A)	Research Publications in	Refereed Journals as notified by the UGC#	25 per Publication
		Other Reputed Journals as notified by the UGC#	10 per Publication
III (B)	Publications other than journal articles (books, chapters in books)	Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	30 per Book for Single Author
		Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	20 per Book for Single Author
		Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	15 per Book for Single Author
		Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC.	International –10 per Chapter National – 5 per Chapter
III (C)	RESEARCH PROJECTS		
III (C) (i)	Sponsored Projects	Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs	20 per Project
		Major Projects with grants above Rs.3 lakhs up to Rs.5 lakhs	15 per Project
		Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs.3 lakhs	10 per Project
III (C)(ii)	Consultancy Projects	Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs	10 for every Rs.2 lakhs
III (C)(iii)	Projects Outcome / Outputs	Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies prepared	Major policy document of International bodies - 30 Central Government – 20, State Govt.-10 Local bodies – 5
III (D)	RESEARCH GUIDANCE		
III(D)(i)	M.Phil.	Degree awarded	5 per candidate
III(D)(ii)	Ph.D.	Degree awarded / Thesis submitted	15 /10 per candidate
III E	Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars		
III(E) (i)	Award / Fellowship	International Award/Fellowship from academic bodies/ associations	15 per Award / 15 per Fellowship
	Award / Fellowship	National Award/Fellowship academic bodies/ associations	10 per Award / 10 per Fellowship
	Award/Fellowship	State / University Award/Fellowship from academic bodies/associations	5 Per Award
III(E) (ii)	Invited lectures / papers presented	International	7 per lecture / 5 per paper presented
		National level	5 per lecture / 3 per paper presented
		State/University level	3 per lecture / 2 per paper presented
The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period			

III(E) (iii)	Development of e-delivery process/material	10 per module
-----------------	--------------------------------------------	---------------

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points; (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo motu, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

APPENDIX - III TABLE - VIII (A)

MINIMUM APIs FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE LIBRARIAN AND DEPUTY LIBRARIAN AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Category	Activity	Assistant / College Librarian (Stage 1 to Stage 2)	Assistant / College Librarian (Stage 2 to Stage 3)	Assistant/College Librarian (Stage 3) to Deputy/College Librarian (Stage 4)	Deputy Librarian (Stage 4) to Librarian (Stage 5)
I	Procurement, organization, and delivery of knowledge and information through Library services	80/Year	80/year	75/year	70/year
II	Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively	50/ Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period	50 / Assessment period
III	Research and Academic Contributions – Minimum Score required - to be assessed cumulatively	20 / Assessment period	50 / Assessment period	75 / Assessment period	100 / Assessment period
II + III	Minimum total API score under Categories II and III*	90 / Assessment period	120 / Assessment period	150 / Assessment period	180 / Assessment period
	Expert Assessment System	Screening cum evaluation committee	Screening cum evaluation committee	Selection Committee	Selection Committee
IV	Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100.	No separate points. Screening committee to verify API scores	No separate points. Screening committee to verify API scores	30% - Library related research papers evaluation 50% - Assessment of domain knowledge on Library automation and	50% Library publication work 30% Assessment of innovative Library service and organization of digital library

	Minimum required 50))			Organizational skills 20 % - Interview performance	services 20% Interview performance
--	-----------------------	--	--	----------------------------------------------------------	------------------------------------------

*** One may score the balance points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II+ III.**

APPENDIX - III TABLE – VIII (B)

Minimum APIs and Other Norms for the Direct Recruitment of Librarian Positions in University Departments/Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.

Minimum Norm / Criteria	Assistant University Librarian / College Librarian (Stage 1)	Deputy Librarian in universities (Stage 4)	Librarian (university only) (Stage 5)
API score (Research and Academic Contribution - Category III)	Minimum Qualification as stipulated in the regulations	Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative)	Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative)
Selection Committee criteria/weightages (Total weightage = 100)	a) Teaching / computer and communication skills by a Lecture demonstration (50%) b) Record of Library management skills (20%) c) Interview performance(30%)	a) Library related Research / Theme papers (3 Nos) Evaluation: (50%) .b) Library automation skills and Organizational Plans (20%) .c) Interview performance (30%)	a) Library Research papers (Five) evaluation (60%) b) organizational track record of innovation library service and vision plan (20%) c) Interview performance (20%)

APPENDIX-III - TABLE IX

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF LIBRARIAN CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

Sl.No.	Promotion of Librarian Cadres through CAS	Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement	Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1	Assistant Librarian/ College Librarian to Assistant Librarian (Senior Scale) / College Librarian (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2)	Assistant Librarian/ College Librarian completed four years of service in Stage 1 with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil	(i) Minimum API scores using PBAS scoring proforma developed by the university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian cadres in universities and for college Librarian cadres. (II)One Orientation and one Refresher Course of 3/4 weeks duration (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
2.	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) to Assistant Librarian (selection grade) / College Librarian (selection grade) (Stage 2 to Stage 3)	Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) with completed service of five years in Stage 2	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by University as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian Cadres in universities and for college librarian cadres. (ii)Additionally, two refresher courses, for a minimum period of 3 to 4 week duration to have been undergone during the assessment period. (iii) Screening cum Verification process for recommending promotion.
3.	Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade)	Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian	(i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III. Three publications over twelve years. In Colleges, an exemption of one publication

	to Deputy Librarian / College Librarian (Selection Grade) (Stage 3 to Stage 4)	(Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3.	will be given to M. Phil holders and two publications to Ph. D. Holders. (ii) Additionally one course/training under the categories of Library automation / Analytical tool Development for academic documentation. (iii) A selection committee process as stipulated in the Regulation and in Table VIII (A)
4.	University Librarian (Stage 5) (For universities only)	Deputy Librarian in universities with three years of completed service in Stage 4.	(i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table VIII (A). Librarians may combine two assessment periods (in Stages 3 and 4) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3 (iii) Evidence of innovative library service and organization of published work. (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Table VIII (A)

Note: The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Librarian cadres as per the API score specified for this cadre.